समाचार.प्रकाषनार्थरू.

बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने ही संस्थान में कचरे का निश्पादन करने की दी समझाईष

होटलए मैरिज गार्डन संचालकों की कलेक्टर श्री पुरूशोत्तम ने ली बैठक

रतलाम 10 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शहर की होटलेए प्रतिष्ठानए मैरिज गार्डनए कार्यालय इत्यादि स्वच्छ रहेए ज्यादा मात्रा में कचरा प्रोड्यूस करने वाले होटलए संस्थानए प्रतिष्ठान आदि अपना कचरा निष्पादन स्वयं करें। इसके लिए एक बैठक कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम श्री राजेश शुक्लाए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। इसके अलावा शहर के मैरिज गार्डन संचालकए होटल प्रतिष्ठान संचालक विशेष रुप से बैठक में बुलाए गए थे।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक में उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि प्रशासन द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर को सुंदर वातावरण देने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैंए इसके तहत सबसे स्वच्छ कौन प्रतियोगिता विभिन्न कार्यालयोंए होटल प्रतिष्ठानोंए मैरिज गार्डन इत्यादि के मध्य आयोजित की जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसा कि इंदौर में होटल्स के मध्य कंपटीशन आयोजित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे होटल की रैंकिंग बढ़ने से व्यावसायिक दृष्टि से भी होटल प्रतिष्ठान को फायदा होगा।

कलेक्टर ने ज्यादा मात्रा में कचरा उत्सर्जित करने वाले होटल्स तथा अन्य संस्थानों के संचालकों से कहा कि वे अपने स्तर पर कचरा निष्पादन की व्यवस्था करें जैसा कि इंदौर में किया जा रहा है। संस्थाए होटल अपने परिसर में कंपोस्ट खाद बनाने की व्यवस्था कर सकती है और उसका विक्रय किया जा सकता है।

कलेक्टर ने पॉलीथिन के उपयोग को हतोत्साहित करने का भी आग्रह किया। कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छता के पैरामीटर्स पर खरा उतरने तथा स्वच्छ कंपटीशन तैयारी के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है।

बैठक में नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 14420 के बारे में भी बताया गया जिस पर कॉल करके सेप्टिक टैंक तथा सफाई संबंधी समस्या की जानकारी दी जा सकती हैए शिकायत की जा सकती है। नगर निगम द्वारा 24 घंटे में समाधान किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप की जानकारी भी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन संस्थानों द्वारा स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतरा जाएगा उनको नगर निगम के संपत्ति कर में भी छूट दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि ज्यादा मात्रा में कचरा उत्पादित करने वालों के यहां पर कचरा एकत्र करने हेतु नगर निगम द्वारा एक वाहन विशेष की व्यवस्था की जाएगी जो सिर्फ ज्यादा मात्रा में कचरा प्रोड्यूस करने वालों के यहां पहुंचेगा और कचरा एकत्र करेगा। बैठक में बताया गया कि होटलों तथा रेस्टोरेंट में स्वच्छता संबंधी मूलभूत सुविधा तथा पैरामीटर्स पर नंबर दिए जाएंगे। इसके तहत होटल में 4 डस्टबिन रखने पर 30 नंबरए होटल से निकलने वाले गीले कचरे को होटल परिसर में ही प्रसंस्करण करने पर 40 नंबरए कोविड से संबंधित सुरक्षा अपनाने पर 40 नंबरए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित वाल पेंटिंग करवाने पर 40 नंबरए होटल को प्लास्टिक मुक्त एवं पॉलीथीन मुक्त बनाने पर 40 नंबर मिलेंगेए इसी तरह कई और बिंदुओं पर अलग. अलग नंबर दिए जाएंगे। सभी होटल मालिकों को निर्धारित समय देकर प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए कहा गया। कुल 17 मापदण्डों के 565 नंबर में से सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले होटल को स्वच्छ होटल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मुखर्जी नगर का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मुखर्जी नगर का निरीक्षण पूर्व पार्शद प्रतिनिधि श्री मनोज षर्माए श्री मयूर पुरोहित के साथ क्षेत्र की

समस्याओं से अवगत होकर सड़कए उद्यान बाउण्ड्रीवॉलए नाले का स्लैब व रैलिंग लगाये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।
निगम आयुक्त श्री झारिया को निरीक्षण के दौरान मुखर्जी नगर उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल का एस्टीमेट बनानेए समीप ही नाले पर निर्मित स्लेब की चौड़ाई कम होने स्लेब चौड़ा करनेए सुरक्षा की दृश्टि से नाले के आसपास दीवार बनाने व स्लैब पर रेलिंग लगाने व स्वीकृत सड़कों के सड़क निर्माण का कार्य षीघ्र प्रारंभ करने के निर्देष दिये।
मुखर्जी नगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लेट बिल्डिंग के सामने स्थित उद्यान में औशधीय पौधो का रोपण करने निर्देष संबंधित को दिये साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को स्वंय स्व सहायता समूह बनाने हेतु प्रेरित किया।

56 अनुपस्थित सफाई मित्रों का वेतन काटा
सेवा से बर्खास्त व निलंबन का दिया कारण बताओ सूचना.पत्र
रतलाम 10 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 56 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में रानीबाई पति आजादए जितेन्द्र.छोटेलालए मोहन.मांगीलालए षांतिलाल.बाबुलालए विमलाबाई पति रघुवीरए विजय.षांतिलालए पुश्पाबाई पति प्रहलादए बरखाबाई पति सुरेषए बबीताबाई पति सतीषए उमेष.प्रहलादए बादल.दिलीपए राकेष.रतनलालए अजय.विनोदए विक्की.दिनेषए लखन.दीपकए अषोक.अर्जूनए संजय.बालूए सुनील.षंकरलालए बेबीबाई पति अर्जुनए मंगलाबाई पति बाबुलालए बसंतीबाई पति किषनए रानीबाई पति

ष्यामलालए लताबाई पति विजयए रामकुमार.बच्चेरामए अनुप.धन्नालालए मीनाबाई पति मनोजए श्रद्धाबाई पति दिनेषए रमेष.राजेन्द्र कुल 28ए झोन क्रमांक 2 में धनराज.बसंतए विक्रम.रामलालए रघुवीर.पुनमचन्दए रंजनाबाई पति सुरेषए सोमदीप. सुरेषए सुनील.ष्यामलालए संगीताबाई पति हरीषए बिहारी.आनन्दए चेतन.सुरेषए महेन्द्र.नेहरूए राहूल.राजूए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए अनिताबाई पति दीपक कुल 13ए झोन क्रमांक 3 सोनूबाई पति राकेषए अषोक.मांगीलालए संगीताबाई पति राजूए नज्जाबाई पति कचरूए बिंदिया पति अमरए जितेन्द्र.प्रकाषए चन्दन.नजीरए अषोक. मांगीलालए झोन क्रमांक 4 में सुनील.रमेषए अजय.षिवलालए सीमाबाई पति किषोरए उशाबाई पति मुकेषए तेजुबाई पति किषोरए ष्यामाबाई पति जगदीष व कैलाष. बच्चुलाल कुल 7 इस तरह 56 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

भवन निर्माण सामग्री से अतिक्रमण करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 10 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान की बाउण्ड्री के पास व सड़के दुसरी ओर भवन निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण व गंदगी करने पर अषोक पांचाल व जसवंतसिंह पर 500.500 रूपये का जुर्माना कर निर्माण सामग्री को जब्त किया गया।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रघु प्लॉस्टिक उद्योग पर 11 हजार का किया जुर्माना

रतलाम 10 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाकर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में रघु प्लॉस्टिक उद्योग रघु. पन्नालाल सोलंकी पर कार्यवाही करते हुए 75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन जब्त कर 11 हजार का जुर्माना किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 9ण्79 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

सैरानीपुरा क्षेत्र से 4 अवैध नल कनेक्षन विच्छेद

रतलाम 10 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 फरवरी मंगलवार को कुल राषि रूपये 9ए79ए834ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 10 फरवरी गुरूवार को संपत्तिकर षिविर से 87741ए कार्यालय 119773ए वसूली दल 129530 कुल 287044ए जलकर षिविर 37140ए कार्यालय 139850ए वसूली दल 120470 कुल 297460ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय

29440 व वसूली दल 19627 कुल 49067ए लीजरेंट 36410ए कम्पाउडिंग 304963ए लायसेंस 4890 इस तरह कुल राषि रूपये 9ए79ए834द्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।
निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा सैरानीपुरा क्षेत्र में 4 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया।

उपयंत्री श्री अनवर कुरेषी का एक दिवस का वेतन काटा
रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की यूएडी की विडियो कॉन्फ्रेंस में उपयंत्री श्री अनवर कुरेषी द्वारा अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

पैलेस रोड तिराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 70ण्6 लाख व जलकर 16ण्68 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 10 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822द्. व जलकर 54ए850द्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575द्. व जलकर 34ए520द्.ए जवाहर नगर अम्बे माता

मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013ध् व जलकर 63ए450ध्ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ध् व जलकर 1ए19ए720ध्ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ध् व जलकर 62ए950ध्ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977ध् व जलकर 28ए870ध्ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000ध् व जलकर 14ए000ध्ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ध् व जलकर 1ए04ए640ध्ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ध् व जलकर 1ए21ए090ध्ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000ध् व जलकर 47ए000ध्ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422ध् व जलकर 83ए700ध्ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ध् व जलकर 27ए540ध्ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ध् व जलकर 40ए240ध्ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ध् व जलकर 31ए760ध्ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ध् व जलकर 72ए440ध्ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ध् व जलकर 37ए465ध्ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732ध् व जलकर 36ए660ध्ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ध् व जलकर 92ए125ध्ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298ध् व जलकर 64ए770ध्ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241ध् व जलकर 28ए140ध्ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ध् व जलकर 1ए56ए600ध्ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338ध् व जलकर 1ए67ए280ध्ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541ध् व जलकर 76ए625ध्ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807ध् व जलकर 37ए520ध्ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836ध् व जलकर 72ए860ध्ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741ध् व जलकर 37ए140ध् की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को

षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक
चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक
बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को
षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक
स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

10 फरवरी को 1ण्50 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 10 फरवरी गुरूवार को 1ण्50 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

10 फरवरी गुरूवार को डम्पर से 14055ए टेª क्टर से 22550ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 16795ए काम्पेक्टर गीला कचरा 13860ए डम्पर नाला मलबा 80655ए मैजिक सूखा 1290 व मैजिक गीला 1505 किलो इस तरह कुल 150710 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 10 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश

अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 196ा हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 10 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 10 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो

पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्10ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण